

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/12

प्रार्थीया अमरजीत कौर पुत्री स्वर्गीय हरिराम पत्नी रूपचन्द जाति मेघवाल निवासी ताखरावाली तहसील सादुल्लहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता नानू देवी पत्नी हरीराम जाति मेघवाल निवासी ताखरावाली तहसील सादुल्लहर व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 11.07.2011 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 02.07.2020 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 11.07.2011 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थीया को गवाहान कृष्णलाल पुत्र गणपतराम एवं भगतराम बरोड पुत्र हरिराम बरोड ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

6
5/4